कार्यालय, प्राचार्य, भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल)

दिनांक 1412.2020

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर (स्नातक/स्नातकोत्तर) तथा अन्य प्रयोगात्मक विषयों की ऑफलाईन मोड़ में कक्षायें दिनांक 15 दिसम्बर,2020 से कोविड–19 गाईड़लाईन (शासन से प्राप्त) के अनुसार संचालित की जायेगी।

अतः समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुये कक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. छात्रों की संख्या विषय में पंजीकृत छात्रों के 50 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को ही बुलाया जायेगा।
2. कक्षाओं का संचालन Alternative दिवसों में किया जायेगा।
3. सभी छात्र/छात्राओं से सहमति पत्र लेना अनिवार्य है, जिसके बिना छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा को अभिभावक का सहमति पत्र दो प्रतियों में बनाना होगा, जिसमें छात्र/छात्रा एवं अभिभावक के हस्ता0 व फोन नं0 होना आवश्यक है। दो प्रतियों में से एक प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जो छात्र/छात्रा द्वारा समय–समय पर कक्षा–कक्ष में प्रवेश के समय प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रत्येक प्राध्यापक/कर्मचरी एवं छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में मास्क पहनकर आना अनिवार्य हेागा।
5. महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
6. जिन प्राध्यापक/कर्मचारी एवं छात्र/छात्राओं को सर्दी–जुकाम, बुखार के लक्षण हो उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जायेगा, उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् ही वापस भेज दिया जायेगा।
7. एम0ए0/एम0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर एवं अन्य कक्षाओं की समय–सारिणी विभाग द्वारा तैयार की जायेगी, बी0ए0/बी0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर एवं अन्य कक्षाओं की कक्षायें केन्द्रीय समय–सारिणी के अनुसार ही संचालित की जायेगी।
8. सभी कक्षाओं का संचालन सामाजिक दूरी के अनुपात के अनुसार किया जायेगा।
9. राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों को RT (PCR) की –ve रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
10. ऑफलाईन कक्षाओं के संचालन हेतु निर्धारित गाईड़नाईन एवं दिशा–निर्देश विभाग प्रभारी/विषय प्राध्यापक अपने से सम्बन्धित विषयों के ग्रुप में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. शिक्षण कार्य मुख्य भवन में तथा प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्बन्धित विभागों में सुनिश्चित किया जायेगा।

नोट–उपरोक्त दिशा निर्देश केवल प्रयोगात्मक विषयों में प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं के संचालन हेतु लागू होगी। अन्य कक्षायें पूर्व की भाँति ऑनलाईन मोड़ में संचालित की जायेगी।

14.12.2020

प्रो0 (मामचन्द्र)
प्राचार्य